

न्यायालय – सिविल जज, (अवर खण्ड), बीसलपुर, पीलीभीत।

मूल वाद संख्या- 113/2016

श्रीमती रामेश्वरी देवी.....बनाम.....राकेश कुमार आदि।।

**दिनांक:16.04.2018 लन्चबाद**

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु नियत है। उभय पक्षों को धारा 89 सी0पी0सी0 के तहत वाद का निस्तारण किये जाने हेतु अवगत कराया गया। समझौते के आधार पर वाद निस्तारण होने में असमर्थता जताई। अतः उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं :-

- 01- क्या वादी वादग्रस्त दुकान का मु0 75/-रु0 प्रति माह की दर से किरायेदार है?
- 02- क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
- 03- क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
- 04- क्या इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?
- 05- क्या दावा वादी आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों सेबाधित है?
- 06- क्या दावा वादी धारा 34, 38 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है?
- 07- क्या वादी याचित अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त न तो कोई अन्य वाद बिन्दु बनता है और न ही किसी अन्य वाद बिन्दु के सृजन हेतु पक्षकारों की ओर से बल दिया गया। उभय पक्ष अपना अपना साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रारम्भिक वाद बिन्दु संख्या 02 व 03 अग्रसारित की जाती है।

सिविल जज,(जू0डि0),  
बीसलपुर,पीलीभीत।

**दिनांक 16.04.2018**

पत्रावली पेश हुई, पुकार करायी गयी। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं वादबिन्दु सं0-02 एवं 03 पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02**

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। इसके विपरीत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वाद का मूल्यांकन सही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में उक्त वाद **स्थायी निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया है और वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन वार्षिक किराये मु0 900/-रु0 पर किया गया है। हालांकि प्रतिवादी की ओर से यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। तदनुसार प्रतिवादी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है। तदनुसार वाद बिन्दु सं0-02 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

सिविल जज,(जू0डि0),  
बीसलपुर, पीलीभीत।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03**

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है। इसके विपरीत वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बंध में उक्त वाद **स्थायी निषेधाज्ञा** हेतु योजित किया है और वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन वार्षिक किराये मु0 900/-रु0 पर किया गया है और न्याय शुल्क नियमानुसार अदा किया गया है। हालांकि प्रतिवादी की ओर से यह तर्क तो अवश्य दिया गया है कि वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है, परन्तु उसके द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है। तदानुसार प्रतिवादी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त है। तदानुसार वाद बिन्दु सं0-03 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण वाद बिन्दु सं0-04 व 05 दिनांक 20.04.2018 को पेश हो।

सिविल जज,(जू0डि0),  
बीसलपुर, पीलीभीत।